मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16/03/2024

क्र. IPI/5/0048/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स स्वरा हाईजीन प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-5, जिला धार में लगभग रू. 197.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से बेबी डायपर/ पुलअप पैंट्स निर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2304050001) पर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर रोजगार गणक को सम्मिलित करते हुये 30 प्रतिशत की स्थिर दर से बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पात्रता अनुसार पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 4.00 करोड तक होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 3.00 करोड तक होगी।

4. **ब्याज अनुदान-** परियोजना अंतर्गत स्थापित की जाने वाली प्लांट एवं मशीनरी पर वित्तीय संस्था/ बैंक से लिये गये टर्म लोन पर 5% की दर से 5 वर्ष हेतु प्रदान की जाये।

5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

6. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.........

पृ. क्र. क्र. IPI/5/0048/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 16/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स स्वरा हाईजीन प्रा. लि., प्लांट क्र. 5 एवं 7 सेक्टर-5, इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल एरिया पीथमपुर, जिला धार 454775।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग